ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

''मानवीय मूल्यों के आलोक में राष्ट्रीय मानव अधिकार का विवेचनात्मक अवलोकन''

Kanak Priya And Saurav Suman
Research Scholar
Patna University

सारांश

मानवाधिकार शांति एवं विकास की संकल्पना का केन्द्रीय तत्व हैं। मानव अधिकारों का विचार गरिमा में निहित है, जो मानव का पहचान का मूल है। मानव अधिकार प्रकृति में सार्वभौमिक, मौलिक, समान और गैर भेदभावपूर्ण हैं। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की स्थापना का उद्देश्य सभी आयामों में मानव गरिमा को संरक्षण और बढ़ावा देना होगा। मानव अधिकार इतिहास की एक नई अवधारणा है। प्राचीन और मध्ययुगीन काल में, शासक शासन करने एक दिव्य अधिकार का दावा करते थे और सभी अधिकार उन्हीं के पास थे। एक बात जो उल्लेखनीय यह हैं कि इस समय लोगों के स्वतंत्रता या समानता के अधीकार की अवधारणा नहीं थी। यद्यपि कुछ समाजों में लोगों को सीमित रूप में यह अधिकार प्रदान भी कि गई लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान देना होगा कि यह अधिकार का दायरा कभी विस्तारिक नहीं की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सर्वप्रथम इस दिशा में एक सार्थक प्रयास 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव–जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर कर इसे प्रासंगिक रूप प्रदान किया। ''सभी मनुश्य मुक्त पैदा होते हैं और उनकी गरिमा तथा अधिकार समान हैं' राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आयोग का अधिदेष, मानव अधिकार संरक्षण (संषोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंषोधित मानवअधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यषाला में अंगीकृत किया गया था तथा दिसम्बर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। आज के विश्व में जहां आज भी विकसित तथा विकासशील देशों में मानवाधिकार चुनौती बने हुए हैं

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

यह घोषणा पत्र अंतराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उन मानदंडो के लिए पथप्रदर्शक की भूमिका निभाता है जो उन्हें मानवधिकार की रक्षा तथा उनको बढ़ावा देने के लिए स्थापित करने चाहिए। सार्वभौमिक घोषणा पत्र एक ऐसा संदर्भ दस्तावेज है जिससे अंदर से अन्याय तथ मनमर्जी के व्यवहार से, कमजोर तथा वंचितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुवर्ती मानवाधिकार संबंधी कानूनी उपाय विकसित हुए है।

मूल शब्द : मानवअधिकार, समानता, स्वतंत्रता, कानून, जीवन, रक्षा

प्रस्तावना

मानव अधिकार की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा हैं इसमे सभी सार निहित है जो किसी भी लोककल्याण की अवधारणा को इंग्ति करने का कार्य करती है। मानव अधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को फ्रांस की राजधानी पैरिस में पाले दे शाईजो में किया था। इस घोषणा में ही उन सार्वभौम मूल्यों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया था। इनमें उन अहरणीय अधिकारों को अधिसूचित किया गया है, जिनके हकदार सभी मानव हैं। प्रत्येक मानव नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीति और अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल्य, संपत्ति, जन्म अथवा अन्य हैसितय के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना इन अधिकारों का जन्मजात हकदार है। भारत ने मानवअधिकार की संकलप्ना को अपनाने में अपेक्षाकृत काफी समय लिया लेकिन इसके महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया। भारत लोककल्याणकारी अवधारणा पर आधारित लोकतंत्र मे मूल्यों के सापेक्ष इसकी महत्वता को इंग्ति कर के इसके अधिकतम लाभ की अवधारणा को अपनाने का प्रयास किया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसद के एक अधिनियम, नामतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम को अधिनियमित करने का कारण 'मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन' था। यह एक ऐसा संस्थान है जो न्यायपालिका का अनुपूरक है और देष में लोगों के सांविधिक रूप से निहित मानव अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन में लगा हुआ है।

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

अधिनियम के अनुसार 'मानव अधिकार' का अर्थ है 'संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति विषेष की गरिमा संबंधी अधिकार'। ''अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं'' का अर्थ है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय; बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और हर प्रकार के जातीय भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा को स्वीकार किया था। भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, वर्ष 1991 में बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और वर्ष 1968 में हर प्रकार के जातीय भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय की अभिपुष्टि की। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा में उल्लिखित कई अधिकार भारतीय नागरिकों को उसी समय उपलब्ध हो गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था क्योंकि यह अधिकार प्रमुख रुप से संविधान के भाग 3 और भाग 4 में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांत जैसे शीर्ष के तहत दिए गए हैं। अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुभव ने यह दर्षाया है कि इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, अन्वेषण संबंधी शक्तियां, कार्यों का व्यापक विस्तार तथा विषेषज्ञ प्रभाग एवं स्टॉफ से संबंधित स्वतंत्रता और मजबूती, सांविधिक अपेक्षताओं द्वारा गारंटीकृत हैं।

संगठन

आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं। संगठन में इस बात का ध्यान रखा गया हैं कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रदान की जाए। इस में न्यायियक क्षेत्र के साथ सामाजिक सरसता का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता को भी उचित प्रतिनिधत्व प्रदान की गई है। हमें यह ध्यान देना चाहिए इसमें एक महिला सदस्य को भी स्थान दिया गया है। साथ हीं साथ अनुसूचित जाति और जन जाति

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

के भी सदस्यों के लिए स्थान सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हर संभव प्रयास द्वारा कोशिश की गई हर वर्ग के लोगों की सहभागिता को पूर्ण किया जाये। इस तरह भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पूर्ण–रूप से सामाजिक पटल पर अपने आप को अंगीभूत करने का हर संभव प्रयास किया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संगठन

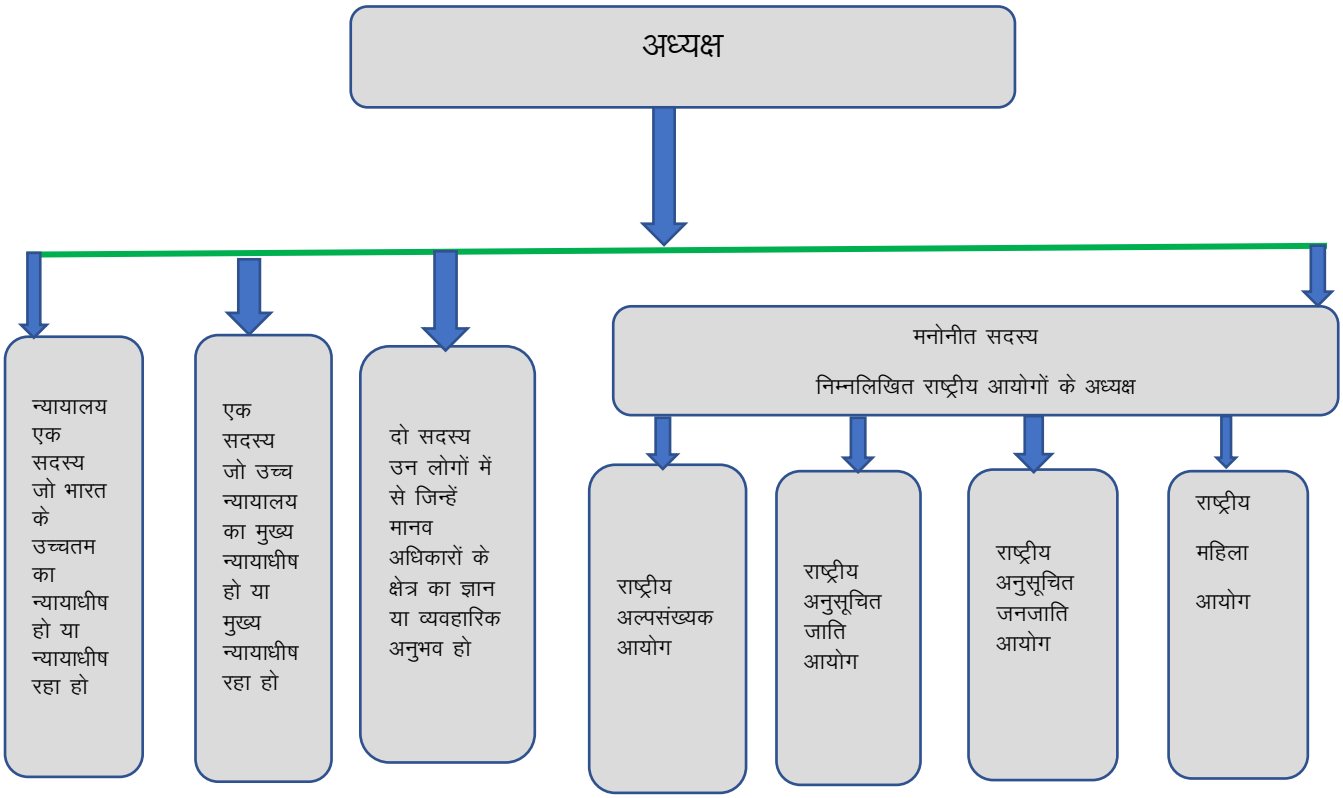

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं के साथ–साथ एक उच्च स्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा उनके चयन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को एक उच्च स्तरीय स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय, महासचिव के समग्र दशानिर्देशों के तहत कार्य करता है।

मानव अधिकार आयोग इंग्ति कार्य

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

आयोग का अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:–

* स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (2) ऐसे अतिक्रमण के रोकने में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।
* किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में, जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई आरोप शामिल है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।
* तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु और इस संबंध में सरकार को सिफारिश करने हेतु वहां का दौरा करना।
* मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
* आतंकवाद के कारनामे सहित ऐसे कारकों की पुनरीक्षा करना जो मानव अधिकारों के उपभोग में विध्न डालती हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
* मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
* मानव अधिकारेां के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
* समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना।
* मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

* ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा आवश्यक समझा जाए।

मानवीय मूल्य के आलोक में राष्ट्रीय मानव अधिकार के कार्यो की समीक्षा

मानव अधिकारों के संरक्षण का भारत में एक संवैधानिक महत्त्व एवं लक्ष्य है। भारतीय संविधान के अनुसार, मानव अधिकारों का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेवारी है एवं मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना भी हर एक नागरिक का कर्त्तव्य है। अतः भारत में मानव अधिकारों की रक्षा केवल राज्य की ही जिम्मेवारी नहीं बल्कि यह हर एक नागरिक का भी कर्त्तव्य है। किसी भी समाज की मूल्य मानवता के सिद्धांत को रखकर तय किया जाता है। जन कल्याण और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना ही मानव अधिकार का पहला कर्तव्य है। भारत भी एक लोकतांत्रिक मूल्य से परिपूर्ण देश हैं अपितू यह इस दिशा में देर से पहल की तथापि यहाँ मानव अधिकार की रक्षा को सर्वोपरी स्थान प्राप्त हैं। सर्वोच्च कानून निर्माण संस्थाओं के रूप में संसद और लोगों के एजेंटों के रूप में सांसद मानव अधिकारों की रक्षा एवं प्रोत्साहन में और मानव अधिकारों के हनन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद सामाजिक और आर्थिक असमानता, विषमता और भेदभाव को लक्षित करने के लिए कदम उठाने में एक निर्णायक भूमिका भी निभाती रहीं है। भारतीय संविधान में हमने सभी नागरिकों, जो अलंघनीय हैं के कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। हमारी संसद मानव अधिकारों विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, विकलांग, बुजुर्गो एवं गरीबी से संबंधित अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षाा करने वाले विभिन्न कानून को लागू करती हैं। हमारे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर मानवअधिकार आयोंग है। देशभर में कुल 26 राज्यों के पास अपने राज्य मानव अधिकार आयोग हैं। ये राज्य हैंः आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (संयुक्त एस.एच.आर.सी.), असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल एवं मेघालय। मानव अधिकार आयोग मानवीय मूल्य के आलोग में जनहित को ध्यान में रखकर इन कार्यो का संपादन करते है।

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

स्वंतत्रता, समानता, भातृत्व का अधिकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने मूल्य उद्देश्य में इस शब्द को ना सिर्फ इंग्ति किया तथापि उसे व्यवहार में अपनाने का हर संभव प्रयास किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का यह मूल धर्म हैं कि सभी को समानता के साथ सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया जाये। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मानव अधिकार प्रदान किये बगैर किसी व्यक्ति का संपूर्ण इन्द्रियों का अधिकतम विकास संभव नही है। समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव का समान रूप सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए इससे हर समाज अपना इष्टतम विकास कर सकता है।

स्वास्थ्य का अधिकार

भारतीय संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन के अधिकार में रखा गया है। स्वास्थ्य के अधिकार को मानव की गरिमा और कल्याण के लिए मूलभूत रूप से सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है। इसका तात्पर्य केवल रोगों और दरिद्रता का नहीं होना ही नहीं है बल्कि सभी व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के सर्वोच्च प्राप्य मानक प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, इसमें समस्त चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता, पर्याप्त आहार, उपयुक्त आवास, कार्य करने का सम्मानजनक माहौल और एक स्वच्छ वातावरण शामिल हैं। स्वास्थ्य के अधिकार में यह भी शामिल है कि सभी के लिए समान आधार पर स्वास्थ्य परिचर्चा तक पहुंच की गारंटी सार्वभौमिक रूप से होनी चाहिए। यह किफायती और सभी के लिए समावेशी होनी चाहिए तथा जहां कहीं भी इसकी आवश्यकता है, यह भौतिक रूप से पहुंच योग्य हो।

भोजन का अधिकार

भोजन का अधिकार उन मूलभूत अधिकार में रखा जाता हैं जो जीवन निर्वाह की प्रथम उपादेयिकता में रखी जाती हैं। भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। संविधान

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

के अनुच्छेद 47 में यह भी कहा गया है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि 'वह अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर' तथा 'सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार' का उन्नयन करे। संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ पठित अनुच्छेद 21 देश के लोगों के भोजन के अधिकार का प्रभावी आकलन करने में राज्य को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करता है।

शिक्षा का अधिकार

भारत की संपूर्ण संस्कृति शिक्षा पर ही निर्भर हैं। हमने इसे अपने अतीत से लेकर वर्तमान तक अपनाया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। 2009 में, भारत ने प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक समावेश का वादा करने वाला एक ऐतिहासिक कानून बनाया, जिससे माध्यमिक और उच्च स्तरों पर सीखने के और अधिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस कानून में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) को प्रभावी रूप से 6–14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बनाया।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार

मानव अधिकार के अंतर्गत हमने सभी वर्गो के अधिकार का औचित्य को सर्वप्रथम रखा है। साथ ही इनका नैतिक धर्म बनता हैं कि हर वर्ग को समाज में सहभागिता के लिए अवसर उपलब्ध कराये। भारत में अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य कमजोर वर्गों जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और हाशिए के वर्गों जैसे कि निशक्तजन कुछ सर्वाधिक वंचित समूह हैं। उनके लिए एक निष्पक्ष वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रगतिशील कानून लागू किया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और 2015 में यथासंशोधित; पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996; लघु वन उत्पाद अधिनियम, 2005; अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफ.आर.ए.); शिर पर मैला ढोने वाले लोगों के रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और अनुसूचित जाति उप–योजना और

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

जनजातीय उप–योजना रणनीति एस.सी. और एस.टी. के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए बनाए गए संबंधित आयोगों द्वारा लोकपाल कार्य का निर्वहन किया जाता है।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

किसी भी समाज में इन दो वर्गो विशेष रूप से उपबंध होना जरूरी हैं। क्योंकि हर समाज में महिला को काफी संघर्ष करना होता हैं तथा बच्चों का शोषण किया जाता हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए समानता मानव अधिकारों के अंतरंग में है। विश्व के नेताओं द्वारा 1945 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मौलिक सिद्धांत सभी के लिए समान अधिकार है और सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान में इनके अस्तित्व, विकास, संरक्षण, भागीदारी और सशक्तिकरण के प्रावधान भी शामिल हैं। फिर भी, महिलाओं और बच्चों को इस तथ्य के बावजूद भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है इसके बावजूद कि भारत महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर एक प्रसंविदा, 1993 (सी.ई.डी.ए. डब्ल्यू.) और बाल अधिकार अधिकारों पर प्रसंविदा, 1992 (सी.आर.सी.) का एक पक्ष है। संभवतः महिलाओं और बच्चों पर पर्याप्त, प्रभावी, समावेशी और प्रभावी सार्वजनिक व्यय की कमी उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए मुख्य बाधाओं में से एक है। प्रासंगिक नीति और विधायी प्रतिबद्धताएं केवल वादे ही बने रहते हैं, जब तक कि सत्तारूढ़ सरकार अपने राज्य और राष्ट्रीय बजट में उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन और उचित रूप से आवंटन तथा संसाधनों का प्रभावी एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित नहीं करती।

बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार

बुजुर्ग पुरुष और बुजुर्ग महिलाएं दोनों उम्र–आधारित भेदभाव का सामना करते हैं परंतु बुजुर्ग महिलाओं को तमाम उम्र अपने जीवन में लिंग भेदभाव के अतिरिक्त संचयी प्रभावों का सामना भी करना पड़ता है। विभिन्न हितधारकों ने दुनिया भर के बुजुर्ग व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने तथा मानव अधिकार मानकों की और अधिक स्पष्टता तथा बढ़ते उपयोग के लिए आवहन किया है। ऐसा इसलिए है कि 60 या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या एक असाधारण दर से बढ़ रही है और 2020 के अंत तक इसके वर्तमान 740 मिलियन से

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

बढ़कर 1 बिलियन तक पहुंच जाने की संभावना है। संख्या में वृद्धि ने पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की कमी पर और बुजुर्ग लोगों की स्थिति पर ध्यान दिलाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में मौजूदा अंतराल पर भी प्रकाश डाला है।

दिव्यांग जनों के अधिकार

भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को दिव्यांग जनों के पक्ष में सकरात्मक हस्तक्षेप के उपाय अपनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कुल 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग है, जो जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। इनमें से, 1.50 करोड़ पुरुष तथा 1.18 करोड़ महिलाएं है। इनमें से दृष्टिबाधित, श्रवण दोष, नाक दोष, अपंग मानसिक अस्वस्थता, बहुइअशक्तता आदि शामिल है। जनगणना डाटा से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों मेंइ69.50 प्रतिशत दिव्यांग जन रहते हैं।

मूल्यांकन :–

मानवअधिकार की उपयुक्त विवेचना से यह सप्स्ट हो जाता हैं कि मानवकल्याण ही मानव–अधिकार का प्रथम सोपान है। अपितू यह इस उद्देश्य से निर्मित हैं कि अपना अधिकतम लक्ष्य मानव जनकल्याण पर पूर्ण रूप से केन्द्रित करते हुए अपने कार्य की प्रकृति और ध्येय को पूरा कर सकें। एक लोककल्याण कारी राज्य के अंतर्गत इस अवधारणा को काफी सराहना दी जाती हैं उनका उद्देश्य बच्चों, महिला, बुजुर्ग वर्ग, पिछड़ा वर्ग के साथ वंचित वर्ग के अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चिक करने से होता है। इस कार्य में मानव–अधिकार की अवधारणा काफी सराहणीय प्रयास करती आ रही है। इससे यह स्पस्ट हो जाता है कि मानव–अधिकार की अवधारणा किसी भी राष्ट्र की सशक्त संकल्पना के लिए अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ सूची :–

1. संयुक्त राष्ट्र : मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनाइटेड नेशन्स पब्लिकेशन्स 300 ईस्ट, 42 इस्ट्रीट, न्यूयार्क

Copyright © 2020

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 8 June 2020

2. डा. मधु मुकुल चतुर्वेदी : भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा एवं मानव अधिकार, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2003

3. खानकाही, निश्तर : मानवअधिकार दशा और दिशा, हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर उत्तर प्रदेश, 2020

4. सुभाष मिश्र : मानवाधिकार का मानवीय चेहरा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015

5. डा. महेन्द्र कु. मिश्रा : भारत में मानवअधिकार, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर 2008

6. डॉ. रामसिंह सैनी : समकालीन परिपेक्ष्य में मानवअधिकारों के विविध आयाम, गगनदीप पब्लिकेशन, दिल्ली, 2007

7. जोशी, आर. पी. : मावन अधिकार एवं कर्त्तव्य, अभिनन प्रकाशन, अजमेर, 2005

8. पूरणमल : मानवअधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, पोइंटर पब्लिकेशन, जयपुर 2003

9. शर्मा, सुभाष : भारत में मानव अधिकार, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2009

10. कौशिक, आशा : मानव अधिकार और राज्य बदले संदर्भ, उभरते आयाम, पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर 2004

Copyright © 2020